रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 1995/पौष 29, 1916
No. 28] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 1995/PAUSA 29, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1995

सं. 2/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 37(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 6 और धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 1995 है ।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में,—

(क) नियम 52क के उपनियम (6) में, "जो प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी, से आरंभ करके संपूर्ण वर्ष के लिए चलेगा" शब्दों के स्थान पर "जो प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल से आरंभ होकर संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए चलेगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे और नियम 57छछ के उपनियम (5) में, "प्रत्येक वर्ष के 1 जनवरी से आरंभ होने वाले संपूर्ण वर्ष के लिए चलने के लिए" शब्दों और अंक के स्थान पर "प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को आरंभ होने वाले संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए चलने के लिए" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) नियम 57छ के उपनियम (2) के पहले परन्तुक में, "प्रवेश-पत्र" शब्दों के स्थान पर "प्रवेश-पत्र, विदेशी डाकघर में तैनात सीमाशुल्क अंक द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) नियम 57छछ में, उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4क) (क) बीजक चार प्रतियों में बनाया जाएगा। मूल प्रति क्रेता के लिए, दूसरी प्रति परिवाहक के लिए होगी, तीसरी प्रति उचित व्यक्ति को भेजी जाएगी और चौथी प्रति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रति धारित की जाएगी।

(ख) बीजक की प्रतियों के शीर्ष पर निम्नलिखित रीति से बड़े स्पष्ट अक्षरों में अंकित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1) मूल प्रति पर, 'मूल प्रति क्रेता के लिए' अंकित किया जाएगा;

(2) दूसरी प्रति पर, 'दूसरी प्रति परिवाहक के लिए' अंकित किया जाएगा (इसका उपयोग, यथास्थिति, नियम 57छ के अधीन मुद्रण लेने के लिए या इस नियम के अधीन रखे गए रजिस्टर में प्राप्ति प्रविष्टियां करने के लिए किया जाएगा);

(3) तीसरी प्रति पर, 'तीसरी प्रति केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के लिए' अंकित किया जाएगा; और

(4) चौथी प्रति पर, 'चौथी प्रति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए' अंकित किया जाएगा।"।

[फा. सं. 267/106/94-सी एक्स-8]
एम. पोन्नुस्वामी, उप-सचिव

पाद टिप्पण : नियम 57छछ को अधिसूचित करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, में अधिसूचना सं. 33/94-के.उ. (एन.टी.), तारीख 4-7-94 (सा.का.नि. 560 (अ), तारीख 4-7-94) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 1995

NO. 2/95-CENTRAL EXCISES (NT)

G.S.R. 37(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. These rules may be called the Central Excise (Amendment) Rules, 1995.

2. In the Central Excise Rules, 1944, —

(a) in sub-rule (6) of rule 52A and sub-rule (5) of rule 57 GG, for the words and figure "running for the whole year beginning on the 1st January of each year", at both the places where they occur, the words and figure "running for the whole financial year beginning on the 1st April of each year" shall be substituted ;

(b) in rule 57 G, in sub-rule (2), in the first proviso, for the words "or Bill of Entry", the words "Bill of Entry, a certificate issued by an Appraiser of Customs posted in Foreign Post Office" shall be substituted ;

(c) in rule 57 GG, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely,—

"(4a) (a) The invoice shall be made out in quadruplicate. The original copy shall be for the buyer, the duplicate for the transporter, the triplicate shall be sent to the proper officer and the quadruplicate shall be retained by the registered person.

(b) The copies of the invoice shall be marked at the top in bold capital letters in the following manner namely :—

(i) the original copy shall be marked as ORIGINAL FOR BUYER;

(ii) the duplicate copy shall be marked as DUPLICATE FOR TRANSPORTER (to be used for taking credit under rule 57 G or, as the case may be, for making receipt entries in register maintained under this rule);

(iii) the triplicate copy shall be marked as TRIPLICATE FOR CENTRAL EXCISE ; and

(iv) the quadruplicate copy shall be marked as QUADRUPLICATE FOR REGISTERED PERSON".

[F. No. 267/106/94-CX-8]

M. PONNUSWAMY, Dy. Secy.

FOOT NOTE :—The Principal Notification notifying Rule 57 GG was published in the Gazette of India, Extraordinary vide Notification No. 35/94-CE(NT) dated 4-7-1994 (GSR 560(E), dated 4-7-1994).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995